पत्रांक :—2550/सा0 दिनांकः— 16.11.2016

नगर निगम कार्यालय, मुंगेर

बन्दोबस्ती आम सूचना—2017—18

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर निगम,मुंगेर क्षेत्रान्तर्गत सभी चौक— चौराहे, त्रिकोणीय पार्को आदि स्थलों पर वाणिज्यिक विज्ञापन प्रसारण से होर्डिंग शुल्क वसूली करने हेतु वित्तीय वर्ष2017—18 के लिए दिनांक—01/04/2017 से 31/03/2018 तक (एक वर्ष) के लिए निम्नांकित आवश्यक शर्त्तो के तहत खुली डाक बन्दोबस्ती नगर निगम कार्यालय के सभाभवन में निर्धारित तिथि (क) को अपराहन 12.30 बजे निर्धारित है। अपरिहार्य कारण वश उक्त निर्धारित तिथि को बन्दोवस्ती नहीं होने पर अंकित अनुवर्त्ती तिथि (ख)एवं (ग) को निर्धारित तिथि एवं समय पर बन्दोवस्ती की कार्रवाई की जाएगी।

क्रमांक	परिसम्पति का विवरणी	वार्षिक सुरक्षित जमा राशि	जमानत की राशि	डाक की तिथि एवं समय
01	नगर निगम, मुंगेर क्षेत्रान्तर्गत सभी चौक— चौराहे, गोलम्बर, त्रिकोणीय पार्को आदि स्थलों पर होडिंग (वाणिज्यिक विज्ञापन प्रसारण) से शुल्क वसूली की डाक बन्दोबस्ती ।	1,60,650=00/— (एक लाख साठ हजार छः सौ पचास) रू0	40,163=00/— (चालीस हजार एक सौ तीरेसठ रू0)	(क) 08 /12/2016 (ख) 10 /12 /2016 (ग) 15/12 /2016 को अपराह्न 12:30 बजे से

आवश्यक शर्त्तें :—

1. डाक वक्ता को डाक में भाग लेने के पूर्व सुरक्षित जमा राशि का 25 प्रतिशत सुरक्षित राशि जमानत के रूप
   में नगर निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगा।
2. डाक वक्ता को डाक में भाग लेने के पूर्व अपना आवासीय प्रमाण—पत्र जिला पदाधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत/पैन कार्ड आदि की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा ।
3. सफल डाक वक्ता की जमानत राशि डाक की बोली गई स्वीकृत राशि में समायोजित कर दिया जाएगा तथा शेष राशि स्वीकृत डाक वक्ता को डाक के तुरंत बाद एकमुश्त जमा करना अनिवार्य होगा। असफल डाक वक्ताओं की जमानत राशि डाक के बाद वापस कर दी जाएगी।
4. होडिंग स्थल की सफाई एवं रख—रखाव की जिम्मेवारी बन्दोबस्तधारी की होगी एवं किसी तरह का हिंसा, अश्लीलता, धर्म विद्वेष, जाति सूचक, व्यक्ति सूचक से जुड़े कोई भी विज्ञापन होर्डिंग प्रकाशित नही किया जाएगा।
5. होर्डिंग आदि का आंधी—तुफान/ दुर्घटना आदि के पश्चात पुनः संधारण बन्दोबस्तधारी को करना अनिवार्य होगा तथा किसी तीसरे पक्ष को हुए नुकसान के लिए घोषित निम्नतम मुआवजा देने की जबावदेही बन्दोबस्तधारी की होगी।
6. बन्दोबस्तधारी जिस कम्पनी /संस्था का विज्ञापन के लिए अनुबंध करेगा, उसकी सूचना नगर निगम कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
7. बन्दोबस्तधारी को नगरपालिका अधिनियम, 2007 की सुसंगत धारा की सभी कंडिकाओं का पालन करना अनिवार्य होगा।
8. किसी भी तरह के कानुनी विवाद का निपटारा निगम कार्यालय स्तर से ही मान्य होगा।
9. सरकार एवं चुनाव आयोग द्वारा विज्ञापन प्रसारण इस बन्दोबस्ती से मुक्त होगा एवं अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित होर्डिंग को अविलम्ब लगाना बन्दोबस्तधारी को अनिवार्य होगा।
10. इण्डियन स्टाम्प एक्ट के सिडूल—1A के अनुसार एकरारनामा का पंजीकरण स्वीकृत बन्दोबस्ती की राशि के 3 प्रतिशत मूल्य के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा स्वीकृत बन्दोबस्तदार को करना अनिवार्य होगा।
11. बंदोवस्तधारी को अद्यतन श्रमकानूनों का अनुपालन करना होगा।
12. अद्योहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी समय डाक को रद्ध/ समाप्त करने या पुनः डाक कराने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

16.11.16

महापौर
नगर निगम,मुंगेर

16/11/16

नगर आयुक्त
नगर निगम, मुंगेर।